मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/ 7570 /NR-10/MGNREGA-MP/15, दिनांक : 25/07/2015

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. संचालक, बांस मिशन, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
   विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल

विषयः– महात्मागांधी नरेगा के तहत लाईन विभागों को **PO.log.in** प्रदाय करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 21.07.2015 का कार्यवाही विवरण।

----00----

महात्मा गांधी नरेगा के तहत शासकीय विभागों को कार्य क्रियान्वयन एजेंसी के साथ कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा पोर्टल पर पीओ लॉगिन) के अधिकार दिये जाने तथा भुगतान हेतु एफटीओ जारी करने के अधिकृत करने के लिये दिनांक 21.07.2015 को परिषद मुख्यालय पर आयुक्त मनरेगा परिषद् की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(ए.के.चौधरी)
मुख्य अभियंता
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्र/ 7571 /MIS/MGNREGS-MP/15, दिनांक 25/07/2015

प्रतिलिपि :–

- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- प्रभारी अधिकारी वित्त/तकनीकी/योजना/एम.आईएस शाखा की ओर सूचनार्थ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(मुख्य अभियंता)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

महात्मागांधी नरेगा के तहत लाईन विभागों को PO.log.inप्रदाय करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 21.07.2015 का कार्यवाही विवरण

महात्मा गांधी नरेगा के तहत शासकीय विभागों को कार्य क्रियान्वयन एजेंसी के साथ कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा पोर्टल पर पीओ लॉगिन) के अधिकार दिये जाने तथा भुगतान हेतु एफटीओ जारी करने के अधिकृत करने के लिये दिनांक 21.07.2015 को परिषद मुख्यालय पर आयुक्त मनरेगा परिषद् भोपाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्री सत्यानंद, आयुक्त रेशम संचालनालय,
2. श्री ए. डी. कपाले, प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग
3. श्री ए.के. खरह,अतिरिक्त संचालक उद्यानिकी विभाग
4. श्री अशोक शर्मा, परियोजना प्रबंधक राज्य बॉस मिशन
5. श्री ए. के. चौधरी,मुख्य अभियंता,मनरेगा परिषद्
6. श्री एम. के. जैन,अधीक्षण यंत्री मनरेगा परिषद
7. श्री ओवेस अहमद,सिस्टम एनालिस्ट मनरेगा परिषद्
8. श्री एम.पी.एस. बुन्देला, प्रभारी उपसंचालक कृषि/उद्यान मनरेगा परिषद्
9. सुश्री सृष्टी,कंसलटेंट राज्य बॉस मिशन

बैठक में विभाग वार की गई चर्चा का विवरण :–

1. **रेशम विभाग** :–आयुक्त, रेशम विभाग द्वारा अवगत कराया कि प्रदेश के समस्त जिलों में विभाग का पर्याप्त अमला न होने से वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक से अधिक जिलों का प्रभार होकर पर्याप्त फील्ड स्टॉफ नहीं है। ततसंबंध में यह निर्णय लिया गया कि जहाँ रेशम विभाग का पर्याप्त स्टाफ है वहाँ रेशम विभाग कार्य एजेंसी होगा एवं जहॉ स्टाफ नहीं है वहाँ ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी होगी। रेशम विभाग फर्स्ट सिगनेटरी एवं सेकेंड सिगनेटरी (जो कि लेखा से संबंधित अधिकारी होगा) का नाम मय जिला/जनपद नाम सहित शीघ्र उपलब्ध करायेगा। इसके साथ ही मूल्यांकन कर्ता एवं सत्यापन कर्ता अधिकारी कौन होगा यह भी उनके द्वारा अवगत कराया जावेगा।PO login प्रदायगी हेतु संबंधित अधिकारियों के डिजिटल सिगनेचर भी उपलब्ध कराये जावेगे।
2. **उद्यान विभाग** :–उद्यान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि उनके पास जनपद स्तर पर ''वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी'' का पद उपलब्ध है जिसका वेतन मान विकास खण्ड अधिकारी (BDO)के समकक्ष है।किन्तु एकाउंट से संबंधित अधिकारी जनपद स्तर पर पदस्थ नहीं है। साथ ही समस्त जनपदों पर हार्डवेयर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति ज्ञात कर अवगत कराया जावे ताकि जनपद अथवा जिला स्तर पर संयुक्त हस्ताक्षर से PO.log.inके संबंध में निर्णय लिया जा सके।
3. **वन विभाग** :–वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि बॉस मिशन का कार्य वर्तमान में 12 जिलों में आने वाले 36 डिवीजन में संचालित है। अनुविभागीय अधिकारी एवं रेंज ऑफिसर के संयुक्त हस्ताक्षर से PO loginसंचालित किया जा· सकता है। निर्णय यह लिया गया कि प्रारंभिक रूप से वन मंडलाधिकारी एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के 36 संभागों के मुख्यालय विकासखण्ड में PO.log.inप्रारंभ किया जावे।
4. **ग्रामीण यांत्रिकी सेवाः**–प्रमुख अभियंता द्वाराअवगत कराया किजिला स्तर पर एक या एक से अधिक कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं, किन्तु संभागीय लेखापाल के पद काफी संख्या में रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीयअधिकारी के हस्ताक्षर से PO loginसंचालित किया जा सकता है। निर्णय यह लिया गया कि प्रारंभिक रूप से हर जिले के दो विकासखण्ड में ही यह प्रकिया प्रारंभ की जावे।

5. NREGA portal से FTO जारी करने के लिये 1st and 2nd Signatory का प्रशासकीय नियंत्रण एक ही विभाग क होगा।
6. 1st Signatory लेखा का जानकार तथा 2nd Signatory बीडीओ रेंक से समकक्ष या वरिष्ठ अधिकारी होगा।
7. 1st and 2nd Signatory के digital Signature तैयार करने हेतु आवश्यक प्रकिया एवं निर्देश सभी विभागो क परिषद द्वारा पृथक से भेजे जावेगें। **(कार्यवाही –सिस्टम एनालिस्ट, मनरेगा समय–सीमा 30.07.2015)**
8. PO login, 1st and 2nd Signatory के लिए अधिकारी के नाम, पदनाम चिन्हित कर उनकी पदस्थापना, ई–मे आईडी एवं मोबाईल नम्बर सहित सूची परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराई जावे।

(कार्यवाही –समस्त संबंधित विभाग प्रमुख **समय–सीमा 05.08.2015)**

9. विभाग संबंधित अधिकारियों के Digital Signature उपलब्ध कराते हुये नामांकित अधिकारी के स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन एवं आवश्यक कम्प्यूटर अथवा लेपटॉप व प्रिंटर हार्डवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित कर अवगत करावें।

(कार्यवाही –समस्त संबंधित विभाग प्रमुख **समय–सीमा 10.08.2015)**

10. PO loginउपयोग करने वाले सभी अधिकारियों का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2015 को प्रदाय किया जावेगा।

(कार्यवाही –सिस्टम एनालिस्ट, मनरेगा समय–सीमा 20 एवं 21 अगस्त 2015)

11. प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी एमआईएस तथा ई–एफएमएस सॉफ्टवेयर में कार्य करने की दक्षता हेतु 30 अक्टू. 2015 तक PO login का कार्य जनपद पंचायत स्तर पर मनरेगा अमले के सहयोग से संचालित करेंगे।
12. शासकीय विभागों से क्रय की जाने वाली सामग्री का भुगतान एफटीओ द्वारा उनके विभागीय मद में कोषालय के माध्यम से किस प्रकार किया जावेगा। इस पर वित्त विभाग की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में मनरेगा सशक्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 29/07/2015 में एजेण्डा निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई

(स्मिता भारद्वाज)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद